

संख्या- 18 /2026/आरोएफो-368/नौ-9-2026/18 -ई-1967480

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत रूधौली बाजार,
जनपद-बस्ती।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ :दिनांक 13 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से व्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-277/2024/1148/003-ई-1877648, दिनांक-18.12.2024 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत व्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित सी०सी० सड़क एवं नाली ढक्कल सहित निर्माण कार्यो हेतु नगर पंचायत रूधौली बाजार, जनपद-बस्ती को कुल धनराशि रु० 99.48 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त की धनराशि रु० 24.87 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, जनपद-बस्ती द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी, जनपद-बस्ती की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (व्याज रहित ऋण), अनुदान संख्या-37 के अंतर्गत नगर पंचायत रूधौली बाजार, जनपद-बस्ती को द्वितीय किश्त की धनराशि रु० 74.51 लाख (रुपये चौहत्तर लाख इक्यावन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02 मल जल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।
- (2) संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यो हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का विल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त विल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2027 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाणपत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

- (4) निकाय प्रश्नगत परियोजनाएं पूर्ण कर उनका पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त कार्य को जनपयोगी बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (5) उपर्युक्त शासनादेश संख्या-277/2024/1148/003-ई-1877648, दिनांक-18.12.2024 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
- (6) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रथम किशत की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेंगे तदोपरान्त द्वितीय किशत की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।
- (7) स्वीकृत की जा रही द्वितीय किशत की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल0सी0/19, दिनांक-19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय ₹ 74.51 लाख (रूपये चौहत्तर लाख इक्यावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021930500 पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by भवदीय,
RAVINDRA SINGH

Date: 13-04-2026

15:48:51

(रवीन्द्र सिंह)

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 18 /2026/आर0एफ0-368/नौ-9-2026/18 -ई-1967480, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, जनपद-बस्ती।
6. कोषाधिकारी, जनपद-बस्ती।
7. निजी सचिव, मा० मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, 30प्र० शासन।
9. स्टेट पी०एम०यू०, नगर विकास विभाग, 30प्र० शासन।
10. गार्ड फाइल/वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विभाग।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र सिंह)

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-13/04/2026

प्रेषण संख्या:- 18
आवंटन आदेश संख्या:- 001-18-2026-RF-368-9-9-2026-18-E-1967480
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेतर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बस्ती-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान	7451000	7451000
		प्रगामी	7451000	7451000
	योग	वर्तमान	7451000	7451000
		प्रगामी	7451000	7451000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौहत्तर लाख इक्यावन हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौहत्तर लाख इक्यावन हजार

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव